



# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल:-[registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com) वेबसाईट:-<https://snpv.ac.in>

क्रमांक 1657/E/परीक्षा-गोपनीय/2024

रायगढ़, दिनांक 27/11/2024

प्रति,

प्राचार्य,

समस्त संबद्ध महाविद्यालय,

शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

विषय:- विषम सेमेस्टर परीक्षा सत्र 2024-25 की स्नातकोत्तर पाठयक्रमों की प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजन एवं आंतरिक परीक्षा के अंक प्रविष्टि के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि विषम सेमेस्टर परीक्षा सत्र 2024-25 की स्नातकोत्तर पाठयक्रमों की प्रायोगिक परीक्षाएं दिनांक- 07/12/2024 से 16/12/2024 तक महाविद्यालय में आयोजित कराके प्रायोगिक परीक्षाओं के प्राप्तांक एवं आंतरिक परीक्षाओं के अंक निर्धारित तिथि के अंदर विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को प्रदान किए गए ऑनलाईन पोर्टल पर प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करें एवं पर्ण-प्रतिपर्ण की अधोहस्ताक्षरित हार्ड कॉपी दिनांक- 17/12/2024 तक विश्वविद्यालय के गोपनीय विभाग में अनिवार्यतः जमा/प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें।

प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित कराने हेतु नियुक्त बाह्य परीक्षकों की सूची महाविद्यालय को दिनांक- 28/11/2024 तक ई-मेल(Email) के माध्यम से प्रेषित की जायेगी एवं आंतरिक परीक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 3263/E/परीक्षा-गोपनीय/2022 रायगढ़, दिनांक 10/11/2022 के अनुसार की जाएगी।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

आदेशानुसार


  
कुलसचिव

क्रमांक 1658/E/परीक्षा-गोपनीय/2024

रायगढ़, दिनांक 27/11/2024

प्रतिलिपि :-

1. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. वित्ताधिकारी/प्रभारी-अधिकारी (परीक्षा/अकादमी/भंडार/प्रशासन) शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ को सूचनार्थ।
3. प्राचार्य, समस्त परीक्षा केन्द्र एवं समस्त संबद्ध महाविद्यालय शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ को सूचनार्थ।
4. विश्वविद्यालय के संबंधित अधिकारी को बेवपोर्टल में अपलोड करने हेतु।
5. कक्ष-प्रभारी परीक्षा/गोपनीय को सूचनार्थ।
6. कार्यालय प्रति।

  
प्रभारी-अधिकारी (गोपनीय)



# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई - मेल :- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com), वेबसाईट :- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक. 3263/E/ परीक्षा-गोपनीय/2022

रायगढ़, दिनांक 10.11.2022

प्रति,

प्राचार्य,  
समस्त संबद्ध महाविद्यालय,  
जिला-रायगढ़ एवं जाँजगीर-चाँपा (छ.ग.)


विषय:- प्रायोगिक परीक्षाओं में आंतरिक परीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों के अंतर्गत जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित की जाती है उनमें निम्नानुसार आंतरिक परीक्षक नियुक्ति किये जा सकेंगे:-

01. शासकीय महाविद्यालय में कार्यरत संबंधित विषय के नियमित एवं अशासकीय महाविद्यालयों में परिनियम 28 के अंतर्गत नियुक्त/कार्यरत शिक्षक महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा उस विषय की प्रायोगिक परीक्षाओं में आंतरिक परीक्षक नियुक्त किये जा सकेंगे।
02. किसी महाविद्यालय में उक्त संबंधित विषय के नियमित/परिनियम 28 में नियुक्त/कार्यरत शिक्षक नहीं होने की स्थिति में संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा समीपस्थ स्थित अन्य शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय से संबंधित विषय के नियमित/परिनियम 28 में नियुक्त/कार्यरत शिक्षक को संबंधित विषय की प्रायोगिक परीक्षा हेतु आंतरिक परीक्षक नियुक्त किया जा सकेगा जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा।
03. यदि किसी महाविद्यालय में उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 के अनुसार प्रायोगिक परीक्षा हेतु आंतरिक परीक्षकों की व्यवस्था नहीं हो पाती तो उस स्थिति में संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य आंतरिक परीक्षक की नियुक्ति के संबंध में यथा समीपस्थ महाविद्यालय में कार्यरत संबंधित विषय के नियमित/परिनियम 28 में नियुक्त/कार्यरत शिक्षक का प्रस्ताव विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे एवं विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त आंतरिक परीक्षक से परीक्षाओं का आयोजन कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

आदेशानुसार


  
कुलसचिव (प्रभारी)

रायगढ़, दिनांक 10.11.2022

पृ.क्र. 3264/E/ परीक्षा-गोपनीय/2022

प्रतिलिपि:-

01. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
02. प्राचार्य, समस्त संबद्ध महाविद्यालय को सूचनार्थ।
03. वित्ताधिकारी/उप-कुलसचिव (वित्त) को सूचनार्थ।
04. कक्ष प्रभारी, परीक्षा/गोपनीय को सूचनार्थ।

  
प्रभारी अधिकारी (परीक्षा)